प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

आपराधिक अपील सं. 1397 वर्ष 2014

रामजी सिंह एवं अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता

बाबू राम (PW–1) ने थाना चुरखी में इस आशय की एक लिखित शिकायत (प्रदर्श P.1) दर्ज कराई कि उन्हें उनके भतीजे सरमन सिंह (मृतक) द्वारा सूचित किया गया था कि जब वह– सरमन सिंह 17.06.1982 की सुबह अपने खेत की जुताई कर रहा था, आरोपी लखन सिंह (ए–1) वहां पहुँचा और सरमन सिंह को गालियां दीं। लखन सिंह ने सरमन सिंह से कहा कि वह प्लाट पर बुआई न करे अन्यथा उसे मार दिया जाएगा। सरमन सिंह ने जवाब दिया कि भूखंड लखन के पिता का नहीं है और हालांकि लखन सिंह जबर्दस्ती भूखंड पर खेती कर रहा था, अब सरमन सिंह उसे ऐसा नहीं करने देगा। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और दोनों ने एक –

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दूसरे को गालियां दीं। इसके बाद लखन सिंह अपने घर चला गया। सरमन सिंह ने जुताई पूरी करके घर आकर इस घटना का जिक्र बाबू राम (PW1) से किया। प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और ग्राम प्रधान के चुनाव में लखन सिंह एक अलग समूह के साथ था। सरमन सिंह ने लखन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लखन सिंह चुनाव जीता था।

2. बाबू राम को घटना की सूचना देने के तुरंत बाद सरमन सिंह बढ़ई से अपने कृषि यंत्र (दतुवा) की मरम्मत करवाने चला गया और मुखबिर बाबू राम (PW–1) भी उसके साथ गया। दोपहर के करीब का समय था। जैसे ही वे दशरथ सिंह के घर को पार कर रहे थे, सरमन सिंह ने बाबू राम (PW1) से कहा कि बाबू राम बढ़ई से दतुवा की मरम्मत करवा लाए, जबकि वह (सरमन सिंह) दशरथ सिंह से बैल की कीमत लेने चला गया। सरमन सिंह दशरथ सिंह के घर के अहाते में घुसा और चारपाई पर बैठ गया। मुखबिर बाबू राम (PW–1) बढ़ई के घर की ओर चला गया। वह अभी बढ़ई के घर पहुंचा ही था कि उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वह तुरंत दौड़ा और दशरथ सिंह के घर पहुंचा, जहां उसने लाठी से लैस आरोपी लखन सिंह (ए–1), बंदूकों से लैस रामजी सिंह (ए–2) और कृष्ण अवतार (ए–3) और कुल्हाड़ियों से लैस लखन सिंह के बेटे लक्ष्मण सिंह (ए –4) और लाला राम (ए –5), और कांटा से लैस वीरेंद्र सिंह (ए –6) को देखा। वे दशरथ सिंह के घर के बाहर थे और लखन सिंह ने कहा कि सरमन सिंह एक बड़ा गुंडा है, उसे भागने न दिया जाय और उसे मार दिया जाना चाहिए। रामजी सिंह (ए–2) और कृष्ण अवतार (ए–3) ने दशरथ सिंह के घर के प्रवेश द्वार से अपने हथियारों से तीन–तीन बार फायरिंग की। लक्ष्मण सिंह (ए–4) और लाला राम (ए–5) ने अपनी कुल्हाड़ियों से वार किया, और वीरेंद्र सिंह (ए–6) ने उसके चेहरे और हाथों पर काँटा से हमला किया। सरमन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान नंद किशोर (पीडब्ल्यू–2), गया प्रसाद, तख्त सिंह और दशरथ सिंह की पत्नी भगवंता

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

समेत अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। आरोपी ने वहां मौजूद सभी लोगों को धमकी दी कि अगर कोई दखल देगा तो उन्हें जान से मार देगा और इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

3. इस संबंध में एक लिखित शिकायत बाबू राम (PW–1) द्वारा तैयार की गई थी और राम लखन (PW–4) द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद बाबू राम (PW–1) पुलिस स्टेशन गए जो गांव से लगभग 8 मील दूर है और लिखित शिकायत की। उपरोक्त 6 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 302 और 452 के तहत अपराध संख्या 66/82 दर्ज किया गया। इसके बाद विवेचना की गयी और मृतक सरमन सिंह के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। विवेचना पूरी होने के बाद सभी 6 आरोपियों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 173 (2) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय को दे दिया। सत्र न्यायाधीश ने लखन सिंह को आईपीसी की धारा 147, 449, 302/149 के तहत आरोपित किया जबकि रामजी सिंह, कृष्ण अवतार, लक्ष्मण सिंह, लाला राम और वीरेंद्र सिंह को धारा 148, 302/149, 449 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया।

4. अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों का परीक्षण किया। आरोपी व्यक्तियों का आधार इनकार का था और उनके अनुसार बाबू राम उनका विरोधी था और इसलिए, उन्हें उसके द्वारा झूठा फंसाया गया था। विचारण न्यायालय ने सभी आरोपियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर बरी कर दिया:

(1) चिकित्सकीय साक्ष्य गवाहों की मौखिक गवाही का अनुसमर्थन नहीं करते थे और इसलिए प्रत्यक्षदर्शी गवाह की उपस्थिति संदिग्ध थी;

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(2) महत्वपूर्ण गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया;

(3) स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किए गए थे;

(4) हेतुक साक्ष्य नहीं हुआ था;

(5) जिन गवाहों का परीक्षण किया गया, वे आरोपी के विरोधी थे और अत्यधिक हितबद्ध साक्षी थे; तथा

(6) यह कि अभियोजन पक्ष मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य करने में विफल रहा।

5. राज्य ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपील के विचाराधीन रहने के दौरान, तीन अभियुक्तों लखन सिंह (A–1), कृष्ण अवतार (A–3) और वीरेंद्र सिंह (A–6) की मृत्यु हो गई और अपील समाप्त हो गई। उच्च न्यायालय ने निचली न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया और कहा कि:

1) चिकित्सकीय साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों के बयान के बीच कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं था;

(2) यह कि मौके पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की मौजूदगी साक्ष्य हुई;

(3) यह कि अभियोजन पक्ष ने समझाया था कि उसने एक गवाह से पूछताछ क्यों नहीं की और यह कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य कर दिया था।

तदनुसार, रामजी सिंह (ए–2), लक्ष्मण सिंह (ए–4) और लाला राम (ए–5) को आईपीसी की धारा 147, 148, 302/149 के तहत दंडनीय अपराध करने और आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया। उन्हें आजीवन सश्रम कारावास और 10,000 रुपये / प्रत्येक का जुर्माना की सजा सुनाई गई । इसलिए दोषसिद्ध आरोपियों द्वारा यह अपील की गयी।

6. हमने अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव दत्ता और श्री सिद्धार्थ लूथरा को और उत्तर प्रदेश राज्य की विद्वान अधिवक्ता सुश्री संसृति पाठक को सुना। अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि चिकित्सीय साक्ष्य घटना स्थल पर बाबू राम (PW–1) और नंद किशोर (PW–2) की उपस्थिति को अत्यंत संदिग्ध बनाते हैं और इसलिए, यह आग्रह किया कि उनके बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। यह भी आग्रह किया गया कि इन दोनों गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास हैं जो उनके बयान को संदिग्ध बनाते हैं। इसके अलावा,ये गवाह मृतक से संबंधित हैं और हितबद्ध गवाह होने के नाते, उनके बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि प्राथमिकी पूर्व समय और पूर्व दिनांकित है और यह विशेष रिपोर्ट देने में देरी से स्पष्ट है। यह भी कहा गया कि महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं की गई और अभियोजन पक्ष द्वारा बैलिस्टिक रिपोर्ट को साक्ष्य नहीं किया गया था। अंत में, यह कहा गया कि विचारण न्यायालय ने एक एक संभावित दृष्टिकोण अपनाया और इस दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय द्वारा नहीं छेड़ा जाना चाहिए था।

7. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश राज्य की विद्वान अधिवक्ता सुश्री संसृति पाठक ने कहा कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण विकृत था और उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने का समय सही ढंग से दर्ज किया गया है और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य द्वारा समर्थित है। अंत में, उन्होंने कहा कि सभी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की गई है। उनके अनुसार, विचारण न्यायालय का निर्णय विकृत था जिसे उच्च न्यायालय ने सही ही खारिज कर दिया था।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मूल अभिलेख का विस्तार से अवलोकन करने के बाद, हमारा विचार है कि मुख्य प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए। जाहिर है, यदि हम प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि वे सच्चे गवाह हैं, तो अपील को खारिज करना होगा। हालांकि, अगर इन दोनों गवाहों की सत्यता पर संदेह किया जाता है तो संदेह का लाभ आरोपी को ही देना होगा। जहां तक मामले में दर्ज इन गवाहों के बयानों का प्रश्न है, ये लगभग एक जैसे हैं और इनमें कोई बड़ा विरोधाभास नहीं है. अपीलकर्ताओं द्वारा इस तथ्य पर बहुत जोर दिया गया है कि पीडब्ल्यू–1 द्वारा न्यायालय में अपने परीक्षण में कही गई कई बातों का प्राथमिकी में उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक इस पहलू का संबंध है, हम नोट कर सकते हैं कि पीडब्लू–1 के अनुसार, वह घटना के स्थान पर ही मौजूद था और घटना के तुरंत बाद राम लखन (पीडब्ल्यू–4) से, तहरीर लिखवाई, जिसने कहा है कि प्रदर्श पी.1 उनके द्वारा लिखा गया और उसने वही लिखा था जो बाबू राम (PW–1) ने उसे बोला था। इसके बाद, उसने और बाबू राम दोनों ने उक्त तहरीर (प्रदर्श पी.1) पर हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श पी.1 पर प्रदर्शित होने वाले बाबू राम के हस्ताक्षर से यह स्पष्ट है कि बाबू राम मुश्किल से साक्षर है और लिख नहीं सकता। पीडब्लू–4 एक शिक्षक है और जिरह में उससे पूछा गया था कि उसके चाचा और आरोपी से जुड़े कुछ लोगों के बीच मुकदमा है, लेकिन उसने कहा कि उसे इसकी जानकारी नहीं। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह किसी दलगत राजनीति का पक्षधर नहीं हैं। तहरीर के संबंध में उससे एक ही बात कही गयी कि उसने गांव में कोई तहरीर तैयार नहीं की थी और शिकायत थाने में लिखी गई थी। शिकायत की सामग्री के संबंध में कोई परीक्षण नहीं किया गया।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

समय के संबंध में भी यह गवाह स्पष्ट रूप से कहता है कि वह लगभग 12.45 बजे मौके पर पहुंचा और तहरीर लिखी और उसके बाद बाबू राम को थाने भेजा गया। उसने आगे बताया कि विवेचना अधिकारी करीब 3 और 3.45 बजे घटना स्थल पर पहुंचे. उसके मुताबिक करीब साढ़े चार घंटे तक वह घटना स्थल पर रहा और उसकी मौजूदगी में शव का पंचायत नामा तैयार किया गया और उसने उस पर दस्तखत किए. इसका मतलब है कि तहरीर घटना के तुरंत बाद लिखी गई थी। एफआईआर केवल इसी तहरीर पर आधारित है और इसमें इस तहरीर से ज्यादा या कम कुछ भी नहीं है। यदि यह तहरीर इस गवाह द्वारा दोपहर 12.45 बजे लिखायी गई और पीडब्लू–1 के साथ पुलिस स्टेशन को भेजी गई तो प्राथमिकी की विषयवस्तु तहरीर की विषयवस्तु से ज्यादा कुछ नहीं है और इसलिए इसे प्रक्षेपित नहीं कहा जा सकता है।

9. हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि परिवादी एक अनपढ़ ग्रामीण है। उसने तहरीर पीडब्लू–4 को बोला, जो निस्संदेह साक्षर है, लेकिन कानून से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है। परिवाद में सभी आवश्यक तथ्य दिए गए हैं लेकिन जाहिर है कि यह विधिक कौशल वाले व्यक्ति द्वारा तैयार नहीं किया गया है। एक प्राथमिकी को एक विश्वकोश नहीं माना जाता है जिसमें सभी तथ्यों का विस्तार से विवरण दिया गया हो। हमारी राय में, परिवाद (प्रदर्श पी.1) पूर्ण है और साक्ष्य के दौरान किए गए परिवर्धन, यदि कोई हैं, ऐसे नहीं हैं जो परिवाद की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करते हों।

10. अब हम सीआरपीसी की धारा 157 के विलंबित अनुपालन के संबंध में कथन पर विचार करेंगे। अभियोजन पक्ष का पक्ष यह है कि सीआरपीसी की धारा 157 और यू.पी. पुलिस विनियमन के अन्तर्गत रिपोर्ट 17.06.1982 को अपराह्न 3.30 बजे भेजा गया था। हैड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरक्षी अतर सिंह (पीडब्ल्यू–

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

7) ने बताया कि 17.06.1982 को मामले की विशेष रिपोर्ट कांस्टेबल संख्या 406 परम सुख पाल (पीडब्ल्यू–8) के माध्यम से सभी संबंधित लोगों को भेजी गई थी। उन्होंने मूल जनरल डायरी को न्यायालय के सामने पेश किया था और इसका असली उद्धरण P–20 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चूंकि बाबू राम तहरीर (प्रदर्श पी.1) लाए थे, इसलिए उन्होंने प्राथमिकी पर हस्ताक्षर नहीं कराये। जिरह में उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि एफआईआर की कॉपी 17.10.1982 को सीजेएम, उरई या उरई के किसी अन्य मजिस्ट्रेट को भेजी गई थी या नहीं। उन्होंने स्वीकार किया कि जनरल डायरी में इस संबंध में कोई प्रविष्टि नहीं है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि एफआईआर की प्रतियां भेजने से संबंधित दिनांक 17.06.1982 और पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल (PW–8) के आगमन के संबंध में 18.06.1982 की प्रविष्टियां जाली और पूर्व दिनांकित हैं। PW–8 ने आगे कहा है कि वह 17.06.1982 को दोपहर 3.10 बजे थाने से विशेष रिपोर्ट के साथ निकले जिसे उन्होंने एसडीएम, कालपी के अहलमद (कोर्ट मास्टर) को सौंपा दिया था। उनका कहना है कि चूंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने कालपी में रात बिताई और अगली सुबह उरई पहुंचे जब उन्होंने अन्य सभी अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी और वापस थाने आ गए।

11. अपीलकर्ता ने एक दस्तावेज का अवलंब लिया है जो सूचना के अधिकार (संक्षेप में आरटीआई) प्रश्न के जवाब में है जिसमें एसडीएम, कालपी की न्यायालय में *अहलमद* ने कहा है कि विशेष रिपोर्ट 27.06.1982 को प्राप्त हुई थी। हालांकि, इस आरटीआई रिपोर्ट को *अहलमद* ने साक्ष्य नहीं किया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह आरटीआई रिपोर्ट घटना के 22 साल से अधिक समय बाद वर्ष 2005 के बाद प्राप्त हुई होगी। रिपोर्ट की विषयवस्तु विधि के अनुसार साक्ष्य नहीं की गयी है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम यह भी उल्लेख कर सकते हैं कि उ.प्र. में यू.पी. पुलिस विनियम यह प्रावधान करता है कि हत्या, दंगा,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सेंधमारी आदि के मामलों में रिपोर्ट की प्रतियां तुरंत लाल लिफाफे में पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी निरीक्षक को डाक या जिस भी तरीके से शीघ्रता से संभव हो, भेजी जानी चाहिए। अगर हम यह मान भी लें कि अभियोजन पक्ष यह साक्ष्य करने में विफल रहा है कि सीआरपीसी की धारा 157 का पालन किया गया था, तो भी उसके प्रभाव का आकलन करना होगा। केवल धारा 157 के अनुपालन में देरी अभियोजन के लिए घातक नहीं है। यह केवल यह संदेह पैदा करता है कि अभियोजन कथानक बाद के चरण में गढ़ा गया हो सकता है। हमारे विचार में, राम लखन (PW–4) का बयान, जिसने घटना के तुरंत बाद, बाबू राम (PW–1) के कहने पर लगभग 12.45 बजे तहरीर लिखी थी, यह दर्शाता है कि तहरीर लिखने से पहले कोई परामर्श नहीं किया गया था। बाबू राम बताता है कि वह ट्रैक्टर से थाने गया और दोपहर दो बजे से पहले वहां पहुंच गया जब रिपोर्ट दर्ज की गयी। भले ही अभियोजन पक्ष सीआरपीसी की धारा 157 के सख्त अनुपालन को साक्ष्य करने में विफल रहा हो, यह दिखाने के लिए अभिलेख में पर्याप्त सामग्री है कि एफआईआर की प्रतियां अन्य अधिकारियों को यू.पी. पुलिस विनियम के तहत आवश्यक रूप से भेजी गई थीं और इसलिए, हमारी राय में, परामर्श के बाद कोई झूठी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया था। हमारी राय में अपीलार्थियों द्वारा सन्दर्भित **मेहराज सिंह (एल/एनके) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[1] के निर्णय का इस मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है।

12. यह कहा गया था कि मृतक के शव को घटना स्थल से पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल ले जाने वाले कांस्टेबल सिया राम (PW–3) ने स्वीकार किया था कि शव उसे शाम 5.30 बजे दिया गया था और वह उरई थाना अगली सुबह 10.00 बजे पहुंचा। इस गवाह का कहना है कि उसने थाने से दोपहर 2.00 बजे गांव के

1

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लिए प्रस्थान किया, जो अभियोजन पक्ष के इस कथन का समर्थन करता है कि प्राथमिकी दोपहर लगभग 2.00 बजे दर्ज की गई थी। उनके साथ एक अन्य आरक्षी, एसएचओ और उप–निरीक्षक भी थे। उनके अनुसार, वे घटना स्थल पिथुईपुर से शाम 5.30 बजे शव को बैलगाड़ी में लेकर निकले और रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया खराब हो गया और उन्होंने वह रात गांव बमोहरा में बिताई. वह कहता है कि वह अगले दिन सुबह करीब 6 से 7.00 बजे दूसरे पहिये की व्यवस्था कर सका और उसके बाद बमोहरा और उरई के बीच की दूरी 3 घंटे में तय किया। दूरी 24 किलोमीटर है, और विचारण न्यायालय और अपीलकर्ताओं के अनुसार बैलगाड़ी यह दूरी3 घंटे में नहीं चल सकती। हमारी राय में, विचारण न्यायालय के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई आधार नहीं है कि बैलगाड़ी 3–4 घंटे में इस दूरी को तय नहीं कर सकती है।

13. अपीलकर्ता द्वारा अवलंबित दूसरा मुख्य आधार चिकित्सकीय साक्ष्य है। चूंकि यह बहुत प्रासंगिक है, इसलिए हम साक्ष्य के प्रासंगिक हिस्से को विस्तार से उद्धृत कर रहे हैं। डॉ.जी.सी.मिश्रा (PW–5) चिकित्सा अधिकारी थे जिन्होंने 18.06.1982 को दोपहर 2.00 बजे पोस्टमॉर्टम किया। बाहरी जांच में उन्हें निम्नलिखित चोटें मिलीं:

(i) कटे हुए का घाव 12 x 2 सेमी x माथे के बाईं ओर हड्डी तक गहरा, जो बाईं ओर एक्सिला की तरफ निकलता हुआ।

(ii) कटे हुए घाव 3 सेमी x 1 सेमी x चेहरे के बाईं ओर हड्डी तक गहरा चोट संख्या 1 के 2 सेमी नीचे बाईं ओर निकलता हुआ।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iii) कटे हुए घाव 13 सेमी x 3 सेमी x हड्डी तक गहरा नाक की हड्डी से शुरू होकर बाईं आंख के माध्य कोण के किनारे तक जाता हुआ, बाई ओर निकलता हुआ।

(iv) कटे हुए घाव 5 सेमी x 1 सेमी x हड्डी तक गहरा नाक से शुरू होकर चेहरे के बाईं ओर जाता हुआ बाईं ओर निकलता हुआ।

(v) कटे हुए घाव 14 सेमी x 3 सेमी x हड्डी तक गहरा बाईं ओर निकलता हुआ, दाहिनी आंख के पार्श्व कक्षीय मार्जिन से शुरू होकर जबड़े तक जाता हुआ।

(vi) कटे हुए घाव 5 सेमी x 0.5 सेमी x मांसपेशी तक गहरा, बाएं कोण और मुंह से शुरू होकर नीचे की ओर और गाल के पार्श्व तक, बाईं ओर निकलता हुआ।

(vii) दायीं भौं के पार्श्व भाग पर 2.5 सेमी x 2 सेमी x हड्डी तक गहरा कटा घाव।

(viii) एफ.ए. प्रवेश घाव दाहिनी ऊपरी भुजा पर 1 सेमी x 1 सेमी, दाहिनी ऊपरी भुजा पर 2 सेमी दूर। कोई खरोंच, झुलसन आदि मौजूद नहीं।

(ix) आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव 1.2 सेमी x 1 सेमी दाहिने ऊपरी बांह के ऊपरी भाग के मध्य भाग पर चोट संख्या 8 से 2 सेमी पार्श्व तक। कोई खरोंच, झुलसन आदि मौजूद नहीं है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(x) कटे हुए घाव 2 सेमी x 0.5 सेमी x मांसपेशियों तक गहरा दाहिने हाथ की तर्जनी के मध्य जोड़ के के पृष्ठीय भाग पर।

(xi) कलाई के जोड़ से सटे बाएं हाथ के पृष्ठ पर कटा घाव 6 x 2 सेमी x मांसपेशियां तक गहरा।

(xii) कटे हुए का घाव 5 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशी तक गहरा, बाएं हाथ के ड्यूरम पर , चोट संख्या 11 से 2 सेमी नीचे।

(xiii) बाएँ कंधे की हड्डी के बीच के भाग पर 3x2 सेमी आग्नेयास्त्र के बाहर निकलने का घाव।

(xiv) आग्नेयास्त्र के बाहर निकलने का घाव 2 x 1.6 सेमी दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र के मध्य भाग के किनारे पर इंफैंगल (?) के 6 सेमी ऊपर की ओर।

(xv) पेट के बाईं ओर 2 x 1.8 सेमी पेट से बाईं ओर ऊपरी भाग में नाभि के बराबर 20 सेमी ऊपर , आंत बाहर निकलता हुआ।

(xvi) अग्नेयास्त्र प्रवेश घाव 1.2x1.2 सेमी बायीं जांघ पर लिंग से 10 सेमी दूर। कोई खरोंच, झुलसन आदि मौजूद नहीं।

(xvii) आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव 20 सेमी x 1.6 सेमी, चोट संख्या 16 से 2 सेमी ऊपर और पार्श्व में, खरोंच, झुलसन आदि मौजूद।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(xviii) आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव 4 x 2 सेमी, चोट संख्या 16 से 1.5 सेमी पर तिरछा और चोट संख्या 17 के नीचे 1.2 नीचे, खरोंच, झुलसन आदि मौजूद।

(xix) (आग्नेयास्त्र) निकासी घाव 6 x 6 सेमी बायीं जांघ के मार्जिन से बाहरी उपांत्र से लगा हुआ।

(xx) निकासी घाव बायीं जांघ के पार्श्व भाग पर 8 x 4 सेमी, चोट संख्या 19 से 2 सेमी नीचे।

(xxi) आग्नेयास्त्र निकासी का घाव 4 सेमी x 4 सेमी जांघ के बाईं ओर किनारे चोट संख्या 20 से 3 सेमी नीचे।

(xxii) निकासी घाव 4 x 4 सेमी बाईं जांघ के पिछले हिस्से पर, चोट संख्या 21 के मध्य से 4 सेमी नीचे।

(xxiii) बाईं जांघ के ऊपरी हिस्से में 10 सेमी x 5 सेमी x के क्षेत्र में छः अग्नेयास्त्र निकासी के घाव, लिंग के पास, 0.3 सेमी से लेकर 0.8 सेमी तक।

(xxiv) 3 आग्नेयास्त्र निकासी के घाव 2 x 2 सेमी क्षेत्र में, 0.4 सेमी से 0.8 सेमी व्यास आकार के अंडकोश के ऊपरी किनारे भाग में।

(xxv) 6 x 4 सेमी के क्षेत्र में अंडकोश के ऊपरी हिस्से में 3 आग्नेयास्त्र घाव अंडकोश के नीचे की ओर आकार व्यास 0.3 सेमी से 0.6 सेमी।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

14. चिकित्सकीय साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर हम पाते हैं कि यह अभियोजन कथानक की पूरी तरह से पुष्टि करता है। दोनों चश्मदीद गवाहों (पीडब्लू 1 और 2) के अनुसार आरोपी रामजी सिंह और कृष्ण अवतार ने तीन–तीन बार फायरिंग की थी। आग्नेयास्त्रों के प्रवेश के 6 घाव हैं जिनका उल्लेख क्रमांक (viii), (ix), (xv), (xvi), (xvii) और (xviii) में किया गया है। जहां तक निकास घावों का संबंध है, 6 से अधिक निकास घाव हैं जो संभव है क्योंकि इस्तेमाल की गई आग्नेयास्त्रों में से एक 12 बोर की बंदूक थी जिसमें छर्रे होते हैं। डॉक्टर का मत है कि लॉन्ग बैरल गन का भी इस्तेमाल किया गया था और उनके अनुसार मौत 17.06.1982 को दोपहर 12 से 12.30 बजे के बीच हुई थी जो अभियोजन पक्ष का भी समर्थन करता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर द्वारा वर्णित अन्य चोटें सभी संबंधित हैं और कुल्हाड़ी या काँटा से कारित की गयी हो सकती हैं, जो कि 3 अभियुक्तों द्वारा लिए गए हथियार थे।

15. विचारण न्यायालय के साथ–साथ हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा इस तथ्य का भारी अवलंब लिया गया था कि यदि अपीलकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया साइट प्लान सही है, तो अधिकांश चोटें शरीर के बाईं तरफ होनी चाहिए थीं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि निचली न्यायालय इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकती है। गवाहों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर साइट प्लान तैयार किया जाता है। एक साइट प्लान केवल एक सामान्य विचार देती है और यह सही पैमाने पर नक्शा नहीं है। यदि मृतक चारपाई पर बैठा हो तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका मुख केवल उत्तर की ओर ही रहा हो। उसका मुख उत्तर–पूर्व या उत्तर–पश्चिम की ओर हो सकता था। वह खाट के एक ओर पश्चिम की ओर मुख करके भी बैठा हुआ हो सकता था। घर के प्रवेश द्वार पर दो चश्मदीद भी मौजूद थे, जिसके अंदर एक देवरिया था। यह बिना किसी दरवाजे के एक मोटे प्रवेश द्वार के समान है। वे दोनों बाहर की ओर खड़े थे और इन गवाहों के बयान के अनुसार आरोपी रामजी सिंह (ए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2) और कृष्णा औतार (ए 3) ने प्रवेश द्वार से अपनी आग्नेयास्त्र चलाये। इसलिए, दिशा वस्तुतः अर्थहीन हो जाती है। उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष पूरी तरह से उचित था कि विचारण न्यायालय ने स्वंय को पूरी तरह से दिशाहीन कर लिया यह मानते हुए कि चिकित्सा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य का समर्थन नहीं करता था। यह केवल इस आधार पर किया गया था कि यदि नक्शा नजरी 100% सही था तो चोटें उस तरफ नहीं थीं जिस तरफ उन्हें होना चाहिए था। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, एक साइट प्लान स्केल टू स्केल मैप सही नहीं है और यह आम तौर पर विभिन्न चश्मदीद गवाहों, आरोपियों आदि की स्थिति देता है, लेकिन जाहिर है कि ऐसा नक्शा नजरी सही स्थिति नहीं दे सकता। दिशाओं को सटीक स्थिति से भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चोट की दिशा भी अलग–अलग हो सकती है, भले ही आरोपी और मृतक एक ही जगह पर हों जैसा कि नक्शे में बताया गया है और उनमें से एक बैठा है या एक कोण पर खड़ा है। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया विचार अत्यधिक तकनीकी था और हमारी राय में, यह दोनों चश्मदीद गवाहों पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था।

16. वास्तव में, हमारी राय में, चिकित्सा साक्ष्य पूरी तरह से प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का समर्थन करता है और वस्तुतः कोई विरोधाभास नहीं है। आग्नेयास्त्रों और धारदार हथियारों से हुई चोटों के संबंध में दो चश्मदीद गवाहों के बयान की मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होती है। दिशा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, नक्शा नजरी से विशेष रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। घटना एक छोटे से इलाके में हुई। मृतक एक खाट पर बैठा था जिसकी लंबाई अधिकतम 6' हो सकती है। वह छह आरोपियों से घिरा हुआ था, जिनमें से दो ने आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। किसी भी गवाह के लिए यह सटीक रूप से बताना संभव नहीं होगा कि कौन किस स्थान पर था। यहां तक कि पीडब्ल्यू 1 और 2 ने भी सही जगह नहीं बताई है जहां से फायरिंग हुई थी, सिवाय इसके कि दोनों के अनुसार फायरिंग घर के प्रवेश द्वार से हुई थी और अगर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ऐसा है तो साइट प्लान में बिंदु डी और डी 1 उन बिंदुओं को दिखाना जहां आग्नेयास्त्र लिए हुए आरोपी खड़े थे, पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है।

17. यह कहा गया है कि दो गवाहों पीडब्लू 1 और 2 के बयानों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे मृतक से निकटता से संबंधित हैं और दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी। यह कहा गया है कि PW–2 का कृष्ण अवतार (A–3) के साथ विवाद था और उसके भाई का लखन सिंह (A–1) के साथ मुकदमा था। हम इन तथ्यों को सत्य मानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसा कि शिकायत में ही कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे। वे अलग –अलग गुटों से ताल्लुक रखते थे और जाहिर तौर पर उनके बीच दुश्मनी थी। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि दुश्मनी दोधारी तलवार होती है। यह अपराध का और किसी और को झूठा फंसाने दोनों का कारण हो सकता है। हालाँकि, प्रत्येक मामले को इसके स्वयं के साक्ष्य के आधार पर तय करना होता है। इस मामले में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लिखित शिकायत घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई थी तथा जो लोग शामिल नहीं थे उन्हें फंसाने के लिए एक झूठा मामला गढ़ने का समय नहीं था। यह तथ्य कि सरमन सिंह की हत्या की गई थी, विवादित नहीं है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आरोपी व्यक्तियों ने ही उसकी हत्या की या किसी और ने। एक बार जब हम मानते हैं कि पीडब्लू 1 और 2 चश्मदीद गवाह हैं, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया गया था। उन सभी का नाम लिखित शिकायत के साथ–साथ शीघ्र दर्ज की गई प्राथमिकी में भी है। उनके संस्करण की पुष्टि पीडब्लू–4 के संस्करण से होती है, जो हालांकि कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लगभग 12.45 बजे मौके पर पहुंचा और फिर शिकायत दर्ज की। हमारे विचार में यह तहरीर दर्शाती है कि वास्तव में क्या हुआ था।

18. यह सच है कि दो गवाहों के बयान में कुछ मामूली बदलाव और विरोधाभास हैं, खासकर पीडब्लू–2 में। न्यायालय में पेश होने के दौरा PW–2 ने भले ही अपने संस्करण में थोड़ा सुधार किया हो, लेकिन उसके साक्ष्य का मूल बरकरार है। उसके

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

साक्ष्य का सार यह है कि वह दशरथ सिंह के घर के पास एक मंदिर में प्रार्थना करने गया था, और शोर सुना और सभी आरोपियों को दशरथ सिंह के घर के दरवाजे पर ऊपर बताए अनुसार हथियारों से लैस देखा। लखन सिंह (ए 1) ने सरमन सिंह की ओर इशारा किया और कहा, "इस गुंडे को तुरंत मार डालो।" इस पर अभियुक्त कृष्ण अवतार और रामजी सिंह ने सरमन सिंह पर तीन–तीन गोलियां चला दीं। वे दशरथ सिंह के घर के द्वार पर खड़े थे। हालांकि उनसे लंबे समय तक जिरह की गई है, लेकिन जिरह से कुछ भी सामग्री सामने नहीं आई है। उनका बयान बाबू राम (PW1) के बयान का समर्थन करता है, जिन्होंने शिकायत में जो कुछ हुआ है, उसे लगभग दोहराया है। बचाव पक्ष का मुख्य प्रयास इस तथ्य को सामने लाने का प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी थी। यह अपने आप में गवाह को बदनाम करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

19. हमें यह याद रखना चाहिए कि अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि छह व्यक्तिय भारी हथियारों से लैस थे, जिनमें से दो ने बंदूक से दिन के उजाले में मृतक को मार डाला था। इससे ही पता चलता है कि ये आरोपी व्यक्ति ग्रामीणों से नहीं डरते थे। घटना की जगह से जाते समय उन्होंने वहाँ जमा सभी को यह कहकर धमकाया कि जो भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा उसका भी यही हश्र होगा। ऐसी स्थिति में कोई अन्य ग्रामीण जो उपस्थित रहा हो, साक्ष्य देने के लिए नहीं आएगा। यह न्यायालय इस कड़वी सच्चाई से आँख नहीं फेर सकती कि गवाह न्यायालय में गवाही देने से डरते हैं। इस मामले में दो गवाहों ने अपनी बात रखी है और सभी मामलों में उनके साक्ष्य की पुष्टि की गई है। यह सच हो सकता है कि आरोपी के साथ उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहे होंगे, लेकिन साक्ष्य यह नहीं दिखाते हैं कि इन दोनों गवाहों और आरोपी के बीच दुश्मनी या विवाद इस तरह का था कि ये दोनों गवाह केवल हिसाब चुकता करने के लिए झूठे बयान देंगे। जिससे असली दोषी छूट जाएं। हमारी राय में केवल इसलिए कि ये गवाह हितबद्ध गवाह हैं, उनकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

20. अपीलकर्ताओं द्वारा इस तथ्य पर बहुत जोर दिया गया था कि न तो दशरथ सिंह, जिनके घर में घटना हुई थी, और न ही उनकी पत्नी भगवंत, जो घटना के तुरंत बाद आए थे, का परीक्षण किया गया। विचारण न्यायालय ने माना कि घटना के समय दशरथ सिंह अपने घर के अंदर रहे होंगे। विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर इस आधार पर आता है कि प्राथमिकी में यह उल्लेख है कि सरमन सिंह ने दशरथ सिंह को फोन किया था। निचली न्यायालय का यह निष्कर्ष पूरी तरह गलत है। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि दशरथ सिंह को बुलाया गया था। वास्तव में, शिकायत और प्राथमिकी दोनों में यह उल्लेख किया गया है कि मृतक सरमन सिंह ने बाबू राम (PW–1) से कहा कि वह कृषि यंत्र की मरम्मत करवाए, जबकि वह दशरथ सिंह से पैसे वसूल करेगा। दशरथ सिंह की उपस्थिति स्थापित नहीं है। भगवंत, घटना के तुरंत बाद जरूर पहुंचे। हालाँकि, उसने विचारण न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी उपस्थिति में कुछ भी नहीं देखा था और कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए , अभियोजन पक्ष ने उसका परीक्षण नहीं किया। बढ़ई के परीक्षण का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वह घटना का गवाह नहीं है। अधिक से अधिक वह घटना से पहले PW–1 की उपस्थिति स्थापित कर सकता था।

21. अपीलकर्ताओं का यह कहना सही है कि जब बैलिस्टिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट साक्ष्य नहीं हुई है और मौके से बरामद सभी गोलियों को बैलिस्टिक विशेषज्ञ को नहीं भेजा गया है, तो जब्त की गई बंदूकों को अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर यह सच भी है, तो हम चश्मदीदों की गवाही को अविश्वस्त नहीं कर सकते कि दो आरोपियों ने बंदूकों का इस्तेमाल किया था। जब्त की गई बंदूकें इस्तेमाल की गई बंदूकें हो भी सकती हैं और नहीं भी। हालाँकि, जब इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य प्रत्यक्ष और स्पष्ट है, और यह प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य द्वारा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पूरी तरह से समर्थित है, तो जांच दल की लापरवाही का उपयोग बचाव पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में नहीं किया जा सकता है।

22. उपरोक्त बहस को ध्यान में रखते हुए, हम अपील में कोई मेरिट नहीं पाते और इसे खारिज कर दिया जाता है। लंबित आवेदन (आवेदनों), यदि कोई हो, भी निस्तारित किये जाते हैं।

... .

(न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौदर)

....

(न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता)

नई दिल्ली

दिसंबर 11, 2019

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।